

Regarding compensation to farmers for loss due to excessive rain

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे (लातूर): माननीय सभापति महोदया, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र विशेष रूप से लातूर, नांदेड़, जालना, धाराशिव, छत्रपति शम्भाजी नगर, बीड, परभणी और हिंगोली जिलों में हाल ही में हुई अतिवृष्टि की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। इस भीषण वर्षा के कारण किसानों की भूमि पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उनकी खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर उनकी उपजाऊ जमीन कटकर बह गई है, इसके परिणामस्वरूप मराठवाड़ा के किसान इस समय गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

यह दुर्भाग्य की बात है कि अब तक महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रदान किया गया है, वह अत्यंत अपर्याप्त है। कई किसानों की बहुत अधिक भूमि कट कर बह गई है। इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार द्वारा केवल दो या तीन हेक्टेयर तक की मुआवजा देने की योजना बनायी जा रही है जो न्यायोचित नहीं है।

अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की कटकर बह गई भूमि को तत्काल महाराष्ट्र सरकार की एजेंसियों के माध्यम से दुरुस्त कराया जाए तथा उन्हें उचित और पर्याप्त मुआवजा तुरंत प्रदान किया जाए। धन्यवाद।